

## कार्यालय,

### राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविच/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

### कार्यालय भाषा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक संख्या 2021-22 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए संख्या 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संख्या 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4171-SUN PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षण परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षण परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले छात्र/छात्राओं पर ध्यान देना, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पौंस निर्धारण समिति द्वारा यदि संख्या 2021-22 हेतु पौंस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पौंस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्राविधिक शिक्षण समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत छात्र/छात्राओं के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी संख्या हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संसद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने गये विधिविनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०००, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ००० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ००० द्वारा बनाने गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बंध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संसदीय चर्चा पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संसदा उपरदायित संसदा का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संसदा बंध्य उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई हानि टाकर किया जाता है तथा टाकर हानि के संबंध में मा. गवर्नर द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निमित्त किया जाता है तो संसदा प्रतिपूर्ति संबंधित संसदा को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघठित करने वाली संसदों को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अर्पणित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायदा को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से अपना संसदा सार पर सीधे प्रदेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निमित्त नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसदा को अपने वेबसाइट पर संसदा की संसदा सूचनाएं देवे संसदा की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, चारु, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुद्रक, छायाचित्र मुद्रक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संसदा को शिक्षण-प्रविष्टान हेतु उपर्युक्त कालांतरण उपलब्ध करने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में संसदा आवश्यक कानूनी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसदा पर सुनिश्चित हो ले कि संसदा में प्रस्तावित संघठित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के संसदा उपलब्ध कराने गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संसदा द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसदा उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तत्काल संसदा की सम्बद्धता सम्यक्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संसदा के स्तरीय निरीक्षण दौरान यदि संसदा में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसदा की सम्बद्धता सम्यक्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता यात्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा यात्रों का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में निष्पानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठिति.

प्रधानाचार्य/निदेशक, SUN PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR

  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

## कार्यालय,

### उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविच/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

### :-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कठिनाई अंक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिकल सत्र 2021-23 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिती द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिती की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4171-SUN PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिती द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश छात्रवृत्त से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलून द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रपची होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिती द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सलून द्वारा निर्गत विधिविनयमों/अधिविनयमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये विनयमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनन्द द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्य कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण विषयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्य किया जाने वाला युक्त, छात्रावास युक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित/ संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जोवक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसमक कार्यवाही की जायेगी।



(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० खान)

सचिव

पु०सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SUN PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR



(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० खान)

सचिव

## कार्यालय,

### राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

### :-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघटित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संशोधनों को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के अन्तर्गत में संशोधनों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4171-SUN PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसंधान उच्च प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/19-30999/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संस्था संशोधनों की पत्र के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में पेशित किए जायिका संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्दिष्ट की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के शासन के अन्तर्गत संस्थान में समस्त संसाधन (पुस्तक, भवन, वेब उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र: 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्दिष्ट शासनदलों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में शासन सत्र पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शासनदलों प्रकृती होगी, और सदस्यता कार्यावली किये जाने आवश्यक होगा। प्राविधिक शिक्षा समिति द्वारा पत्र सं 2023-24 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को पत्र सं 2023-24 हेतु अनुमोदित विस्तार प्रदान किया गया है, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ को पत्र सं 2023-24 हेतु अनुमोदित विस्तार प्रदान किया गया है।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट शासनदलों के अनुपालन निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट विनियमवली/अधिनियमवली/शासनदलों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बतये गये किये, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिए बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन गिरस किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तो वह दायर काद के संबंध में मा. ग्याजलस द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक चरण पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, छात्रावास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साहाय्यता उपलब्ध कराने के साथ टैनिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्ध उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता सम्पन्न किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की प्रांगण पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार कक्षीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०ए०ए०ए० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सम्पन्न कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचनानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु०सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SUN PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव